



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 23.11.2025

- “मिशन शक्ति 5.0 अभियान” के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की कार्यवाही ।
- थाना बरौर पुलिस टीम द्वारा नाबालिंग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में “मिशन शक्ति 5.0 अभियान” के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में वादी द्वारा दी गयी तहरीर, जिसमें वादी की नाबालिंग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बरौर पर दिनांक 19.11.2025 को मु0अ0सं0 64/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम कुलदीप पुत्र कल्लू निवासी ग्राम निगोही, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन व बयान पीड़िता के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी । मुकदमा उपरोक्त में थाना बरौर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त कुलदीप पुत्र कल्लू निवासी ग्राम निगोही, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात को दिनांक 22.11.2025 को ग्राम निगोही से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कुलदीप पुत्र कल्लू, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम निगोही, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात ।

अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 64/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना बरौर पुलिस